भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **3483**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025/30 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाना है।

पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना

3483. श्री नरेश गणपत म्हस्के:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:
श्री राजेश वर्मा:
श्रीमती शांभवी:
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित राजसहायता (एनबीएस) योजना लागू की है और यदि हां, तो खरीफ 2024 और रबी 2024-25 के दौरान डीएपी के लिए निर्धारित राजसहायता दरों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या किसानों को किफायती मूल्य पर डीएपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा विशेष पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं और यदि हां, तो इन पैकेजों का विशिष्ट ब्यौरा क्या है तथा उनके वित्तीय निहितार्थ क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने एनबीएस व्यवस्था के अंतर्गत गुड़ से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो इस पहल का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या इन पहलों से देश में उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ने की उम्मीद है और यदि हां, तो इन प्रयासों के अनुमानित परिणाम क्या हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) और (ख): सरकार ने दिनांक 01.04.2010 से पोषक-तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता बेहतर बनाने के लिए उत्पादक/आयातक को सब्सिडी प्राप्त पीएण्डके उर्वरकों पर उनके पोषकतत्वों जैसे नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटेशियम (के) और सल्फर (एस) की मात्रा के अनुसार वार्षिक/अर्ध-वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक नियत राशि प्रदान की जाती है। एनबीएस योजना के तहत पीएण्डके क्षेत्र विनियंत्रित है,

उर्वरक कंपनियों को उचित स्तर पर एमआरपी निर्धारित करने की अनुमति है जिसकी निगरानी सरकार द्वारा की जाती है। उर्वरक कंपनियां अपने कारोबार के उतार-चढ़ाव के अनुसार उर्वरक कच्चा माल, मध्यवर्तियों और तैयार उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने पीएण्डके उर्वरकों के लिए वार्षिक/अर्ध-वार्षिक रूप से एनबीएस दरें निर्धारित करते समय उतार-चढ़ाव, यदि कोई हो, को सम्मिलित किया जाता है। खरीफ 2024 (दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 30.09.2024 तक) और रबी 2024-25 (दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 31.03.2025 तक) के दौरान डीएपी के लिए निर्धारित सब्सिडी दर क्रमशः 21676 रुपये प्रति एमटी और 21911 रुपये प्रति एमटी है।

हाल ही में, मौजूदा भू-राजनीतिक संकट के कारण उर्वरकों की आपूर्ति में बड़ा व्यवधान पैदा हुआ, खरीफ 2024 में किसानों को पीएंडके उर्वरकों की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय कदम उठाए गए है। जुलाई 2024 में, सरकार ने दिनांक 01.04.2024 से 31.12.2024 तक की अवधि के लिए एनबीएस दरों के अतिरिक्त 3500 प्रति मीट्रिक टन की दर से डीएपी पर एकबारगी विशेष पैकेज के माध्यम से नियमित आयातों को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय किए, जिसे किसानों को वहनीय कीमत पर डीएपी की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अब दिनांक 31.03.2025 तक बढ़ा दिया गया है। वर्ष 2024-25 हेतु उपरोक्त पैकेज के लिए कुल वित्तीय निहितार्थ लगभग 3346 करोड़ रुपये है जिसका भुगतान वर्ष 2024-25 के लिए एनबीएस स्कीम के बजटीय आवंटन से किया जाना है।

डीएपी पर विशेष पैकेज के प्रावधान के तहत, अंतरिम उपाय के रूप में, वास्तविक पीओएस बिक्री पर उर्वरक कंपनियों को 3,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन का भुगतान किया जाता है। शेष 500 रुपये प्रति मीट्रिक टन का भुगतान कंपनियों द्वारा प्रस्तुत बिलों/दावों की जांच के बाद किया जाता है, जिनकी विधिवत लेखा परीक्षा उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है।

(**ग**) **और** (**घ**)**:** सरकार ने दिनांक 13.10.2021 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी स्कीम के तहत शीरे से प्राप्त पोटाश (पीडीएम) को अधिसूचित किया है। सरकार ने पीडीएम के समावेशन**,** विपणन व्यवस्था और गुणवत्ता के लिए दिनांक 12.07.2022 को दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। अब तक एनबीएस स्कीम के तहत 06 इकाइयों के साथ कुल 05 दानेदार पीडीएम बनाने वाली कंपनियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा**,** उर्वरक कंपनियों द्वारा सुनिश्चित उठान के साथ पीडीएम के संवर्धित उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए**,** खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और उर्वरक विभाग के संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी) ने भारतीय चीनी मिल संघ (आईएसएमए) और उर्वरक कंपनियों के परामर्श से पीडीएम की कीमत 4263 रुपये प्रति टन (बैगिंग**,** लोडिंग और कराधान सहित) तय करने का निर्णय लिया। प्रचार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप**,** वर्ष 2024-25 के दौरान (15.03.2025 तक) पीडीएम की बिक्री 3.75 एलएमटी रही।

****